3/संख्या-55-11-क0नि0-7-2015-700 (306)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकरी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सहायक आयुक्त, स्टाम्प,
   उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबंधन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2015

विषय:- **स्टाम्प कमी के वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 (क) के अंतर्गत विभिन्न अपर्याप्त स्टाम्पित विलेखों को उप निबंधक कार्यालय द्वारा अपनी संदर्भण आख्या के साथ कलेक्टर, स्टाम्प को संदर्भित किया जाता है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि बहुधा उक्त न्यायालयों में संबंधित पक्षकार द्वारा संदर्भण आख्या में इंगित कमी स्टाम्प को जमा करने तथा तदनुसार अर्थदण्ड को माफ किये जाने की प्रार्थना प्रश्नगत विलेख में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य को निर्धारित किये बिना ही स्वीकार कर ली जाती है, तथा उक्त कमी स्टाम्प को जमा कराकर वाद समाप्त कर दिया जाता है।

2. जहॉ प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रक्रिया से वाद त्वरित गति से निस्तारित हो रहा है वहीं उक्त प्रक्रिया के कारण ही गंभीर करापवंचन की आशंका भी उत्पन्न हो जा रही है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यावसायिक सम्पत्ति को आवासीय सम्पत्ति प्रदर्शित करते हुए विलेख का निबंधन कराया जाय और आवासीय के अनुसार देय स्टाम्प शुल्क में से अल्प स्टाम्प शुल्क की कमी संदर्भण आख्या में प्रथम दृष्टया प्रदर्शित की जाय तो उसको स्वीकार कर

http://shasanadesh.up.nic.in/

जमा कराने से किसी भी स्तर पर विलेख में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का विनिश्चय नहीं होता तथा स्टाम्प कमी का वाद अंतिम रूप से निस्तारित होकर समाप्त हो जाता है जिसके उपरान्त किसी प्रकार की अपील आदि की संभावना भी समाप्त हो जाती है।

3. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 क(3) के अन्तर्गत कलेक्टर स्टाम्प द्वारा विलेख में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य विनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आप से अपेक्षित है कि कृपया ऐसे सभी प्रकरणों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 क(2) के अनुरूप सम्पत्ति के मूल्यांकन की जॉच नियम उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के 7(3) (ग) अन्तर्गत सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण करके की जाये। स्थल निरीक्षण आख्या, नक्शा नजरी तथा यथा संभव सम्पत्ति का फोटोग्राफ भी पत्रावली पर साक्ष्य के रूप में अभिरक्षित किया जाये। उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सम्पत्ति का बाजार मूल्य विनिश्चित कर स्टाम्प वाद में आदेश पारित किया जाय।

4. उपरोक्त के साथ ही वादों को यथासंभव नियत समयावधि के अंतर्गत निस्तारित करना भी सुनिश्चित किया जाए। कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/